इग्नू
जन-जन का
विश्वविद्यालय

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

अधिसूचना

आईजी/आर.यू./2017/365|317
नवंबर, 06, 2019

इग्नू अधिनियम, 1985 (1985 की सं. 50) के परिनियम 26(2) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड ने 22/12/2018 को आयोजित अपनी 131वीं बैठक में शोध उपाधि कार्यक्रमों के संचालन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा इस संबंध में कुछ परिवर्तनों के उपरांत प्राप्त सूचना के आधार पर निम्नलिखित शोध अध्यादेश तैयार किया है। यह अध्यादेश विश्वविद्यालय के बतौर कुलाध्यक्ष की क्षमता में भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी पत्र सं. एफ. 5-15/2014-डीएल(पीटी.) दिनांक 17/06/2019 द्वारा सूचित किया गया है। यह अध्यादेश शोध उपाधि कार्यक्रमों पर पिछले अध्यादेश और साथ ही साथ उत्तरवर्ती संशोधनों को अधिकमित करेगा और इसकी अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगा।

इग्नू शोध अध्यादेश
(इग्नू अधिनियम, 1985 की धारा 26 के तहत)

शोध उपाधि कार्यक्रम अर्थात मास्टर ऑफ फिलासफी (एम.फिल), डॉक्टर ऑफ फिलॉसिफी (पीएचडी) कार्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित (शोध उपाधि कार्यक्रमों हेतु) इग्नू विनियमों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप और यूजीसी (एम.फिल./पी.एच.डी की उपाधि प्रदान करने के न्यूनतम मानक एवं कार्यविधि) विनियम 2016 और समय-समय पर यूजीसी द्वारा किए गए संशोधनों के अनुरूप प्रस्तुत एवं संचालित किए जाएंगे।

1. सांविधिक संरचनाएँ

मास्टर ऑफ फिलासफी (एम.फिल)/डॉक्टर ऑफ फिलॉस्फी (पीएच.डी) की उपाधि के लिए किए जाने वाले शोध अध्ययन निम्नलिखित निकायों द्वारा उनकी निर्दिष्ट भूमिकाओं के अनुरूप आयोजित एवं व्यवस्थित किए जाएंगे, जो निम्नवत हैः

1.1 शैक्षिक परिषद

विश्वविद्यालय के शोध उपाधि कार्यक्रम इग्नू के अधिनियम और परिनियमों के प्रावधानों के अनुसार शैक्षणिक परिषद द्वारा अपनाई गई शोध नीति के अनुसार और इग्नू के अधिनियम एवं संविधि के प्रावधान के अंतर्गत होंगे।

1.2 शोध परिषद

एक शोध परिषद होगी जो शैक्षणिक परिषद के समग्र मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए शोध उपाधि कार्यक्रमों के अनुमोदन, योजना, प्रबंधन, आयोजन, मूल्यांकन और निगरानी के लिए जिम्मेदार होगी। परिषद भारत सरकार की आरक्षण नीति का कार्यान्वयन भी सुनिश्चित करेगी।

प्रशासन प्रभाग
Administration Division
T : +91-11-29532098, 29571402
F : +91-11-29532312

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
Indira Gandhi National Open University
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली - 110068, भारत | www.hindi.ignou.ac.in
Maidan Garhi, New Delhi - 110068, INDIA | www.ignou.ac.in

1.2.1 अधिनियम और परिनियमों के प्रावधानों के अधीन और **यूजीसी (एम.फिल./पीएच.डी उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानक एवं कार्यविधि) विनियम 2016** और समय–समय पर यूजीसी द्वारा जारी इसके संशोधनों के अन्तर्गत शोध परिषद निम्नलिखित कार्यों को पूरा करेगी :

(i) विश्वविद्यालय की शोध नीति और शोध उपाधि कार्यक्रमों का प्रबंधन और कार्यान्वयन

(ii) शोध उपाधियों के पंजीकरण, पर्यवेक्षण, कार्यक्रम डिजाइन, पाठ्यक्रम शिक्षण, मूल्यांकन और उपाधि प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करना

(iii) विश्वविद्यालय के शोध कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए प्रतिमान मानक तैयार करना

(iv) विषय संबंधी डॉक्टरल शोध समिति और विद्यापीठ बोर्ड की संस्तुति पर शोध निर्देशक को मान्यता प्रदान करना

(v) शोध–क्षेत्र/शोध शीर्षक किस विद्यापीठ बोर्ड के अंतर्गत आता है, अर्थात्, यदि इससे संबंधित कोई विवाद हो तो उसका निपटारा करना

(vi) शोध कार्यक्रमों के लिए शोध प्राथमिकताओं और संसाधनों के आबंटन से संबंधित मार्गदर्शन और सलाह देना

(vii) विद्यापीठ बोर्डों को ऐसे कार्यों में से किसी भी कार्य के लिए अधिकृत करना

(viii) विश्वविद्यालय की शोध गतिविधि संबंधी समेकित रिपोर्ट तैयार करना

(ix) विश्वविद्यालय में शोध से संबंधित मामलों के निवारण हेतु शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना और उसकी निगरानी करना

(x) शोधार्थियों के लिए अनुशासन संहिता तैयार करना

(xi) शोध आचार शास्त्र तैयार करने के लिए समिति का गठन करना

(xii) शोधार्थियों के लिए अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति की संरचना

(xiii) शोध उपाधि कार्यक्रम संचालित करने के लिए इसकी प्रवर समिति या ऐसी किसी भी अन्य समिति का गठन करना जो इसकी दृष्टि में उपयुक्त हो

(xiv) समय–समय पर शैक्षणिक परिषद द्वारा प्रदत्त– शोध, विकास एवं समन्वय संबंधी अन्य कोई कार्य

1.2.2 **शोध परिषद की संरचना निम्नानुसार होगी :**

(i) कुलपति शोध परिषद के अध्यक्ष होंगे।

(ii) कुलपति द्वारा नामित विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों से छह प्रख्यात विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी न हों, और इन छह सदस्यों में से दो सदस्य क्रमशः एक सदस्य प्रबंध बोर्ड और एक सदस्य शैक्षिक परिषद से होंगे।

(iii) वरिष्ठतम सम–कुलपति को शैक्षिक दायित्व प्रदान किया जाएगा, आवश्यकतानुसार अन्य सम–कुलपतियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है।

(iv) विद्यापीठों से क्रमावर्ती क्रम से विद्यापीठों के पाँच निदेशक।

(v) कुलपति द्वारा नामित आठ शिक्षक 3 आचार्य, 2 सह आचार्य और 2 सहायक आचार्य (जो पहले से ही शोध निर्देशक हैं) और एक शैक्षिक (जो शोधानिर्देशक के रूप में यू.जी.सी की शर्तों को पूरा करता हो)

(vi) निदेशक/प्रमुख, शोध एकक(आरयू)/शोध समन्वय प्रभाग(आरसीडी) शोध परिषद के सदस्य–सचिव होंगे।

1.2.3 सदस्यों का कार्यकाल नामांकन की तारीख से दो वर्ष तक का होगा।

1.2.4 शोध परिषद एक वर्ष में कम से कम दो बार अपनी बैठक आयोजित करेगी। परिषद की बैठक के लिए सदस्यों की गणपूर्ति (कोरम) सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्यों की संख्या होगी।

2. **विद्यापीठ बोर्ड**

संविधि 10 ए के प्रावधानों के तहत गठित विद्यापीठ बोर्ड, शोध परिषद के मार्गदर्शन में शैक्षिक परिषद और शोध परिषद द्वारा निर्धारित नीतियों और दिशा निर्देशों के अनुसार संबंधित विद्यापीठ को प्रदत्त कार्यक्रमों विषय–क्षेत्रों (जिसमें स्थायी संकाय सदस्य हों) में शोध उपाधि कार्यक्रमों का संचालन करेंगे। यदि शैक्षिक परिषद किसी भी अन्य संस्थानों/केंद्रों को किसी भी विद्यापीठ को न सौंपे गए क्षेत्रों में शोध उपाधि कार्यक्रम प्रदान करने का निर्णय लेती है/प्राधिकृत करती है तो शोध उपाधि कार्यक्रम की देखरेख के लिए डॉक्टरल शोध समिति और विद्यापीठ बोर्ड के कार्य निर्वहन के प्रयोजन से शोध परिषद के नियंत्रण में एक अलग शोध समिति का गठन किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए शोध परिषद द्वारा अलग से निर्देश तैयार किए जाएंगे।

3. **प्रवेश के लिए पंजीकरण और कार्यविधि**

3.1 प्रवेश के लिए पंजीकरण और कार्यविधि, शोध निर्देशक का आबंटन, शोध पर्यवेक्षक के लिए पात्रता मानदंड, सिनॉप्सिस (शोध प्रस्ताव) की स्वीकृति, एम.फिल/पीएच.डी कार्यक्रम की संरचना, कोर्स वर्क, कार्यक्रम की अवधि, अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति का वितरण, एम.फिल/ पीएच.डी. शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की कार्यविधि, शोधार्थियों की प्रगति की निगरानी, परीक्षकों (मूल्यांककों) की नियुक्ति, संयुक्त सहयोग के तहत एम.फिल/पीएच.डी. कार्यक्रम प्रदान करने के लिए शोध संस्थानों की मान्यता के लिए प्रावधान, इनफिलबनेट के साथ डिपॉजिटरी, शोध उपाधि कार्यक्रमों के संचालन हेतु करने से संबंधित सामान्य प्रावधान समय–समय पर यूजीसी (एम.फिल./पीएच.डी उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानक एवं कार्यविधि) विनियम 2016 के अनुरूप शोध उपाधि कार्यक्रम आयोजित करने के लिए समय–समय पर यथा संशोधित इग्नू विनियमों के प्रावधानों के अनुसार होंगे।

3.2. **एमफिल/पीएचडी उपाधि प्रदान करना**

किसी भी विद्यार्थी को एम.फिल/पीएच.डी उपाधि यूजीसी (एम.फिल./पी.एच.डी की उपाधि हेतु न्यूनतम मानक एवं कार्यविधि) विनियम 2016 के अनुरूप शैक्षिक परिषद के अनुमोदन से निर्धारित विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदान की जाएगी।

4. **शिकायत निवारण समिति**

किसी शिकायत की स्थिति में इस संबंध में यूजीसी (विद्यार्थी शिकायत निवारण) 2019 और समय–समय पर इस संबंध में किए गए संशोधनों के आधार पर कुलपति द्वारा गठित शिकायत निवारण समिति शिकायतों का निपटारा करेगी और इसकी रिपोर्ट कुलपति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

5. **कठिनाइयों को दूर करना**

उपर्युक्त अध्यादेश में उल्लिखित किसी भी प्रावधान के बावजूद, कुलपति, विश्वविद्यालय में एम.फिल/पी.एच.डी कार्यक्रमों में पंजीकृत विद्यार्थियों के संबंध में यूजीसी विनियमों के अन्तर्गत आवश्यक निर्णय ले सकते हैं।

(वी.बी. नेगी)
कुलसचिव(प्रशा.) प्रभारी